लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17 /798 दिनांक- 23.03.18

स्मार पत्र

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान |

सेवा में

सभी उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार |

विषय:- NBA अंतर्गत परिलक्षित बिसंगतियों के निराकरण के संबंध में |

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-123 दिनांक- 03.03.2017, स्मार पत्रांक-36 दिनांक-03.05.2017, स्मार पत्रांक-705 दिनांक-23.02.18 एवं बिहार विकास मिशन का पत्रांक-432, दिनांक-21.02.2018 एवं पत्रांक-616, दिनांक-15.03.18 |

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय में सूचित करना है कि राज्य में खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभागीय पत्रांक-36, दिनांक-03.05.17 एवं 705, दिनांक-23.02.18 द्वारा स्मारित किया गया था लेकिन अभी तक किसी भी जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है |

अधिकांश जिलों एवं प्रखंडों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी ग्राम पंचायत में CLTS कार्य के उपरांत BLS अधतन करने के क्रम में वैसे घरों/ परिवारों पाये जा रहे है जिन्हें BLS से शौचालय सहित एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त (Paid) बतलाया गया है परन्तु वास्तविक रूप से उनके घर में या तो शौचालय नहीं बना है या उन्हें राशि भी प्राप्त नहीं हुई है |

इसी प्रकार यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि पूर्व में जिन ग्राम पंचायत को NBA अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त है उन ग्राम पंचायत में भी अधिकांश घर/परिवार शौचालय विहीन है |

65

बिहार विकास मिशन द्वारा दिनांक-27/02/2017 को LSBA के समीक्षा के क्रम में यह निदेशित किया गया कि वैसे ग्राम पंचायत (जिसे NBA अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत घोषित किया जा चूका है) में कितने **"ऐसे परिवार है जिसे प्रोत्साहन राशि प्राप्त है परन्तु वास्तविक रूप से उनके घर/परिवार ना तो शौचालय से आच्छादित है एवं प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त नहीं है,"** कि सूची जांचोपरांत प्रस्तुत की जाए | साथ ही **"BLS में वैसे कितने परिवार है जिन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त परिवार बतलाया गया है, परन्तु वास्तविक रूप से वैसे घरों में न तो शौचालय से आच्छादित है और ना ही उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त है"** |

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान में राज्य के ODF (खुले में शौच से मुक्त) घोषित ग्राम पंचायत एवं कार्य प्रारंभ ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करने की कृपा करे |

प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में ही समर्पित किया जाना है |

विश्वासभाजन

अनु०-यथो०(कुल 2 पृष्ठों में)

(राजीव कुमार सिंह)

दिनांक- 23.03.18

ज्ञापांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17/798

प्रतिलिपि:.सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ |

(राजीव कुमार सिंह)

दिनांक- 23.03.18

ज्ञापांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17/798

प्रतिलिपि:सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ |

(राजीव कुमार सिंह)

दिनांक- 23.03.18

ज्ञापांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17/798

प्रतिलिपि:उप मिशन निदेशक,पे० स्व०, ग्राम एवं न० विकास उप मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित |

22/3/18

(राजीव कुमार सिंह)

दिनांक- 23.03.18

ज्ञापांक-BRLPS/LSBA-Estt/21/17/798

प्रतिलिपि:सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित |

22/3/18

(राजीव कुमार सिंह)

PROFORMA

जिला का नाम-

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	निर्मल ग्राम पंचायत घोषित है या नहीं हाँ/नहीं	IMIS पर ODF घोषित है या नहीं हाँ/नहीं	BLS के अनुसार कुल घर/परिवार की संख्या	BLS के अनुसार शौचालय विहिन परिवार की संख्या	BLS के अनुसार Paid List परिवार की संख्या	Paid सूची में से कुल कितने घर/परिवार जिन्हें शौचालय नहीं है या प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं है।	संबंधित ग्राम पंचायत को ODF घोषित करने हेतु कुल कितने परिवार शौचालय से आच्छादित किये गए।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिला समन्वयक
जिला जल एवं स्वच्छता समिति

निदेशक सह जिला सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति

583

02/वि.वि.मि.(पे.स्व.ग्रा.वि.)-05/2017 616

बिहार सरकार

बिहार विकास मिशन

प्रेषक,

अनिमेश पाण्डेय,
उप मिशन निदेशक,
पेयजल स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार,पटना।

सेवा में,

राजीव कुमार सिंह,**बि.प्र.से.**,
राज्य समन्वयक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
बिहार,पटना।

दिनांक 15/3/18

विषय: NBA अंतर्गत परिलक्षित विसंगतियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग : उप मिशन कार्यालय ज्ञापांक 87 दिनांक 10.02.2017, पत्रांक 275 दिनांक 20.03.2017, पत्रांक 442 दिनांक 25.04.2017, पत्रांक 680 दिनांक 07.06.2017, पत्रांक 767 दिनांक 19.06.2017, उप मिशन कार्यालय का दिनांक 30.01.2018 का ई-मेल, उप मिशन कार्यालय ज्ञापांक 386 एवं 15.02.2018, पत्रांक 432 दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोधपूर्वक कहना है कि उप मिशन कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विषयांकित मामले में निर्गत निदेश तथा कृत कार्रवाई से उप मिशन को अवगत नहीं कराया जा सका है।

अनुरोध है कि विषयांकित मामले के निराकरण हेतु कृत कार्रवाई एवं फलाफल से शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
15/3/18
(अनिमेश पाण्डेय)
उप मिशन निदेशक,
बिहार विकास मिशन

ज्ञापांक: 02/बि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-05/2017 616 पटना, दिनांक 15/3/18
प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित। अनुरोध है कि भवदीय द्वारा अपने स्तर से भी शीघ्र ATR प्रेषित कराने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

15/3/18
उप मिशन निदेशक

ज्ञापांक: 02/बि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-05/2017 616 पटना, दिनांक 15/3/18
प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित।

15/3/18
उप मिशन निदेशक

ज्ञापांक: 02/बि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-05/2017 616 पटना, दिनांक 15/3/18
प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित।

15/3/18
उप मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner